



कार्यालय नगर परिषद लखनादोन, जिला सिवनी (MOPRO)
फोन नं.- 07690-240139 ईमेल - cmolakhnadoan@mpurban.gov.in

NIT : 66/E-Tender/Lakhnadon/2026

DATE :- 05.05.2026

// निविदा आमंत्रण सूचना //

एतद द्वारा सूचित लोक निर्माण विभाग में केन्द्रीयकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत सक्षम क्षेत्रों के पंजीयकृत ठेकेदार से अधोलिखित विवरण अनुसार नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के दिनांक 02 अगस्त, 2021 से प्रभाव शील प्रचलित आई.एस.एस.आर. समस्त संशोधन सहित के आधार पर कम/अधिक प्रतिशत दर पर ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा क्रमांक	कार्य का नाम एवं विवरण	प्राक्कलन राशि (रु. में)	घरोहर राशि (रु. में)	निविदा फार्म का शुल्क	श्रेणी	समयावधि	क्र.
2026_UAD_505460_1	आजाद वार्ड क्र. 02 में पिक शौचालय निर्माण कार्य	22,98,123/-	23,000/-	5,000/-	New PWD Reg.	3 माह	1


- शर्त-(1) निविदा वेबसाइट <https://www.mptenders.gov.in> के माध्यम से प्राप्त हो सकेंगी।
- (2) ऑनलाईन निविदा प्रपत्र 06.05.2026 से 09.06.2026 सायं 5:30 बजे तक खरीदे जा सकेंगे।
- (3) ऑनलाईन बिड सबमिट करने की अंतिम तिथि 09.06.2026 सायं 5:30 बजे तक है।
- (4) अमानत राशि, एवं अन्य निविदा संबंधी समस्त दस्तावेज (हार्ड कॉपी) केवल ऑनलाईन मान्य की जावेगी। निविदा दिनांक 11.06.2026 से खोली जावेगी।
- (5) टेण्डर फार्म-ए में ठेकेदार को निम्नलिखित दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होगा -
(अ) अमानत राशि (EMD) (ब) निर्धारित शपथ पत्र (Affidavit) नवीन प्रारूप अनुसार.
(स) रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र। (द) पेन नम्बर एवं जी.एस.टी. नं.।
- (6) टेण्डर फार्म के अनुसार "टेक्नीकल बिड"
- (7) शर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
- (8) निविदा के समस्त अधिकार नगर परिषद लखनादोन के पास सुरक्षित होंगे।
- (9) ठेकेदार को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग एवं, शासन के समस्त नियमों एवं निविदा शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- (10) निविदा में जी.एस.टी. छोड़कर समस्त करों की कटौती नियमानुसार की जावेगी एवं प्रत्येक देयक के साथ जी.एस.टी. का भुगतान तत् समय प्रचलित दर से किया जावेगा।
- (11) निविदा दर की सक्षम स्वीकृति पश्चात निविदा शर्तों के अनुरूप प्रतिपूर्ति राशि अनुबंध के पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा।
- (12) घरोहर राशि ऑनलाईन के माध्यम से ही मान्य होगी, बिना घरोहर राशि जमा किए निविदा मान्य नहीं की जावेगी।
- (13) निविदाकार को दर स्वीकृति उपरान्त जिला श्रमपदाधिकारी के पास श्रम आयुक्त के संविदा श्रमिक (विनियम एव समाप्ति) अधिनियम 1970 के अंतर्गत प्रारूप-05 तत्काल जमा करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् ठेकेदार के उक्त पंजीयन निकाय में जमा कराकर अनुबंध संपादित किया जावेगा। पंजीयन निर्धारित अवधि में जमा न होने पर टेका निरस्त की कार्यवाही की जावेगी।
- (14) अतिरिक्त जानकारी वेबसाइट <https://www.mptenders.gov.in> पर टेण्डर डाक्यूमेंट पर देखी जा सकती है या नगर परिषद कार्यालय लखनादोन में उपस्थित होकर कार्यालयीन समय पर प्राप्त की जा सकती है।
- (15) निविदा प्रपत्र अनुबंध का एक भाग होगा एवं ऐसी अन्य समस्त नियम एवं शर्तें तथा किसी भी विवाद की स्थिति में जो की उल्लेखित नहीं हैं के संबंध में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल द्वारा जारी आदेश/दिशा निर्देश अंतिम एवं मान्य होंगे
- नोट/अन्य शर्तें - (1) निविदा में किसी भी प्रकार के संशोधन की स्थिति में केवल ऑनलाईन संशोधन किया जावेगा, समाचार पत्रों में नहीं।
(2) निविदाकार को ई.पी.एफ. का पंजीयन प्रमाण देना अनिवार्य होगा।
(3) निविदाकार लेबर विभाग का पंजीयन प्रमाण दर स्वीकृति उपरान्त देना अनिवार्य होगा। Cost Escalation Clause लागू नहीं होगा।


पृष्ठा. क्रमांक 66-A/न0परि0/2026

प्रतिलिपि

- माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष महोदय, नगर परिषद लखनादोन की ओर सूचनार्थ।
- कार्यालय नगर परिषद लखनादोन के सूचना पटल पर चस्पा हेतु।
- दैनिक समाचार पत्र.....

में उक्त निविदा सूचना का एक दिवसीय प्रकाशन
कम स्थान में कर, प्रकाशित विज्ञापन की तीन मूलप्रति बिल के साथ भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।


मुख्य नगर कार्यकारी अधिकारी
नगर परिषद लखनादोन
नगर परिषद लखनादोन
लखनादोन, दिनांक 05/05/2026


मुख्य नगर कार्यकारी अधिकारी
नगर परिषद लखनादोन